राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2165 / SEIAA/2022
Date: 25/11/22

प्रति,

मेसर्स जगाती माईनिंग कंपनी प्रा.लि.,
निवासी मकान नं. 07, पेपटेक टाऊन,
नौगांव रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र.)

विषयः– **प्रकरण क्र. 9359 / 2022** – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जगाती माईनिंग कंपनी प्रा.लि., निवासी मकान नं. 07, पेपटेक टाऊन, नौगांव रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर व एम–सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1500000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 16.0 हेक्टेयर, खसरा 2005, ग्राम गोयारा, तहसील गौरीहर, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC की 601वीं बैठक दिनांक 19.10.2022 में की गई अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 756वी बैठक दिनांक 17.11.2022 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लिया गया...

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज में प्रस्तावित खदान की तीनो दिशाओं पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में समीपस्थ आबादी तथा दक्षिण दिशा में खदान के अंदर से ग्रामवासियों के आवागमन हेतु कच्ची सड़क परिलक्षित हो रही है। इसके साथ ही खदान क्षेत्र जो कि एक पहाड पर स्थित है एवं इस क्षेत्र में वृक्ष भी परिलक्षित हो रहें है।

उपरोक्तानुसार क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत एवं वृहद स्तर पर प्रस्तावित खनन गतिविधि से समीपस्थ रहवासी क्षेत्र में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव संभावित होने के साथ–साथ क्षेत्र का प्राकृतिक परिवेश भी प्रभावित होगा जिसमें कि मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि, भूमि प्रदूषण के साथ ही ब्लास्टिंग के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त चूँकि प्रस्तावित खदान में उत्पादन क्षमता अधिक होने के कारण खनिज निकासी व परिवहन के दौरान समीपस्थ रहवासी क्षेत्र में तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

चूँकि प्रस्तावित खदान प्राकृतिक रूप से निर्मित पहाड़ी क्षेत्र है, अतः खनन गतिविधि के कारण पर्यावरण तथा स्थानीय रहवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत तथा प्राकृतिक रूप से निर्मित इस लैण्डस्केप को संरक्षित रखे जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति के ToR आवेदन को निरस्त किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2166 /SEIAA/2022 दिनांक – 25/11/22

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली – 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी